प्रशासनिक आदेश संख्या-329 /2020   दिनांक- 23 / 09/ 2020

प्रभारी अधिकारी सामान्य प्रशासन/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01, सीतापुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांकित- 23-09-2020 द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि- बार एसोसिएशन, सीतापुर द्वारा प्रेषित पत्र द्वारा संज्ञान में लाया गया, जिसमें यह दर्शित किया गया है कि बार एसोसिएशन के सम्मानित सदस्य श्री प्रशान्त शुक्ल, एडवोकेट (जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी) की कोविड-19 की जाँच रिपोर्ट धनात्मक पायी गयी है। अन्त में अनुरोध किया गया है कि दीवानी न्यायालय परिसर साफ-सुथरा तथा पूर्णरूप से सेनेटाइजेशन कराने के उद्देश्य से कोविड-19 की गाइड लाइन के अनुसार 48 घण्टे न्यायालय बन्द कराया जाय।

अतः प्रभारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन द्वारा अनुरोध किया गया है कि संक्रमण की रोकथाम के लिये न्यायालय परिसर, बार एसोसिएशन तथा परिसर में स्थित समस्त भवनों का वृहद सेनेटाइजेशन कराने की आवश्यकता है, जो कि बिना न्यायालय बन्द किये बिना व्यवहारिक रूप से सम्भव नही है। कोविड-19 के बढ़ते प्रसार को रोकने हेतु दिनांक- 24.09.2020 एवं 25.09.2020 को (48 घण्टे के लिये) दीवानी न्यायालय परिसर को साफ-सुथरा तथा पूर्ण रूप से सेनेटाइजेशन कराने के उद्देश्य से कोविड-19 की गाइड लाइन के अनुसार के लिये न्यायालय बंद कराया जाये। प्रभारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन की उपरोक्त आख्या को दृष्टिगत् रखते हुये तथा आख्या को अनुमोदित करते हुये निम्न आदेश पारित किया जाता है-

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या- 1117/LXXXVll-CPC/eCouets/ Allahabad: Dated- 03 June 2020 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत् रखते हुये न्यायालय परिसर स्थित समस्त न्यायालयों को दिनांक- 24-09-2020 व 25-09-2020 (48 घण्टे) तक के लिये वृहद सेनेटाइजेशन हेतु बन्द किया जाता है एवं सेनेटाइजेशन के पश्चात् न्यायालय परिसर दिनांक- 26-09-2020 को पूर्ववत् खुलेगा।

माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद के पत्र संख्या- 1117/LXXXVll-CPC/eCouets/ Allahabad: Dated- 03 June 2020 में वर्णित निर्देशों के अनुपालन में जिला अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी एवं नगर पालिका, सीतापुर दिनांक- 24-09-2020 व 25-09-09-2020 को जनपद न्यायालय परिसर के समस्त न्यायालय/ कार्यालय/ अनुभाग/ परिसर/ भवन/ बार एसोसिऐशन/ आवासीय परिसर जजेज कालोनी को सम्पूर्ण रूप से सेनेटाइज कराना सुनिश्चित करें एवं सम्पूर्ण न्यायालय की साफ-सफाई भी कराना सुनिश्चित करें। केन्द्रीय नाजिर एवं उप नाजिर, जनपद न्यायालय सीतापुर को निर्देशित किया जाता है कि वह सेनेटाइजेशन के कार्य में उपरोक्त की आवश्यकता सहायता करें।

माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद के पत्र संख्या- 1298/LXXXVll-CPC /eCouets/ Allahabad: Dated- 28 July 2020 के अनुपालन में प्रशासनिक आदेश संख्या- 296/2020 में जारी निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार सत्र न्यायाधीश, विशेष क्षेत्राधिकार वाले समस्त अपर सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सिविल जज (सी०डि०), सिविल जज (जू०डि०) सीतापुर, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अपने आवासीय कार्यालय पर उपस्थित रहकर न्यायिक कार्य सम्पादित करेंगे।

न्यायालय के बंद रहने दौरान उपरोक्त संचालित न्यायालयों के कार्यालय खुलेंगे एवं सम्बंधित न्यायालयों के कर्मचारीगण केन्द्रीय कम्प्यूटर कक्ष से सम्पर्क कर प्रस्तुत होने वाले आवश्यक प्रार्थना पत्र जमानत/ अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सम्बंधित अधिकारीगण को उपलबध कराना सुनिश्चित करें एवं कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिदिन नियत एवं निस्तारित होने वाले प्रार्थना पत्रों की संख्या के सम्बन्ध में रिपोर्ट समय 03 बजे तक केन्द्रीय कम्प्यूटर कक्ष में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या- 1298/LXXXVll-CPC /eCouets/ Allahabad: Dated- 28 July 2020 के प्रस्तर संख्या- 3 में यह दिशा निर्देश दिया गया है कि अधिवक्तागण द्वारा जमानत तथा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों को जिला न्यायालय की ई-मेल आईडी- dcsitapurup@gmail.com पर प्रेषित किया जा सकता है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि उक्त हेतु Jitsi-meet software प्रयोग किया जा सकता है जिसका लिंक न्यायिक अधिकारीगण द्वारा अधिवक्ता/ अभियोजन को शेयर किया जायेगा। विद्वान अधिवक्तागण और अभियोजन वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से न्यायालय की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और अपने मामले की सुनवाई करा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु जो Jitsi-meet software प्रयोग होगा उसके प्रयोग करने का तरीका जिला न्यायालय की वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है।

यहीं पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त दिनांक- 24-09-2020 व 25-09-2020 को जनपद सीतापुर के वाह्य न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) बिसवां एवं सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद तथा ग्राम न्यायालय सिधौली पूर्ववत् खुले रहेंगे।

सर्व सम्बन्धित सूचित हों।

आदेश की एक प्रति सिस्टम आफीसर,केन्द्रीय कम्प्यूटर कक्ष, दीवानी न्यायालय, सीतापुर को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।

23/9/20

(कुलदीप कुमार-II)
जनपद न्यायाधीश,
सीतापुर।

<u>प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-</u>

1. अध्यक्ष,बचाव एवं राहत समिति, सीतापुर।
2. जिला अधिकारी, सीतापुर।
3. पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीतापुर।
5. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सीतापुर।
6. अध्यक्ष/ सचिव, बार एसोसिऐशन, सीतापुर।
7. जेल अधीक्षक, जिला कारागार, सीतापुर।
8. अधिशापी अधिकारी, नगर पालिका, सीतापुर।
9. जिला सूचना अधिकारी, सीतापुर।

23/9/20

(कुलदीप कुमार-II)
जनपद न्यायाधीश,
सीतापुर।